राजभाषा एकक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर

विषय - राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 10 मार्च नवंबर 2016 को अपराह्न 16.30 बजे बोर्ड कक्ष, तोषाली भवन परिसर में संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रो. आर. के. पंडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे –

1. डॉ. आर.के.सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा
2. डॉ. डी. गुणसेकरण, कुलसचिव
3. डॉ. राजन झा, सहायक प्राध्यापक, एसबीएस
4. डॉ.पी.के.साहू, सहायक प्राध्यापक, एसईएस
5. डॉ. बिभूति भूषण साहू, उप पुस्तकालयाध्यक्ष
6. डॉ. अनिमेष मंडल, सहायक प्राध्यापक, एसएमई
7. श्री मानस कुमार बेहेरा, सहायक कुलसचिव (शै.एवं. आर.एवं.डी)
8. श्री नितिन जैन, कनि. हिंदी अनुवादक एवं सदस्य सचिव (राकास)

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची की मदों पर बिंदुवार चर्चा प्रारम्भ की। बैठक प्रारंभ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने अब तक आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाइयों से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया। सदस्य-सचिव ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कार्यसूची के अनुसार बिंदुवार चर्चा प्रारंभ की गई।

मद सं. 12.0 **गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि** – दिनांक 24.11.2015 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पुष्टि प्रदान की।

मद सं. 12.1 **गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई**- अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों को गत बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की। इसके मुख्य बिंदु निम्न है -

i) **धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी दस्तावेज़ों को द्विभाषी में जारी करना**: सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों को धारा 3(3) के अनुपालन संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई और कहा कि गत बैठक में निदेशक महोदय ने स्थापना/शैक्षणिक अनुभागों से जारी होने वाले दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में जारी करने हेतु आदेश दिया था। इस संबंध में राजभाषा एकक द्वारा संबंधित अनुभागों के प्रमुखों को पत्र के माध्यम से दस्तावेज़ों को द्विभाषी रूप में तैयार करने हेतु सूचित किया था।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमें सिर्फ राजभाषा नीति के अनुपालन की बाध्यता को ध्यान में न रखकर इसके व्यावहारिक प्रयोग पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्थान के सभी अनुभागों में कुछ स्थाई प्रकार के दस्तावेज़ तैयार किए जाते है जिन्हें एक साथ द्विभाषी में जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास इकाई में भर्ती संबंधी दस्तावेज़ों, आदेशों एवं नियुक्तियों को द्विभाषी में किया जा सकता है।

कार्रवाई – राजभाषा एकक/सभी सहायक कुलसचिव/ उप कुलसचिव कुलसचिव

ii) **हिंदी पत्राचार की स्थिति सुधारने हेतु कार्यशाला का आयोजन** – राजभाषा एकक द्वारा दिनांक 28-29 दिसंबर 2015 के दौरान संस्थान के अधिकारियों/निजी सचिवों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें राजभाषा नीति के अनुपालन के साथ-साथ हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार करने के लिए अग्रेषण पत्र के प्रयोग संबंधी जानकारी प्रदान की गई थी।

कार्रवाई – कुलसचिव/ सहा.कुलसचिव (स्था.)/ राजभाषा एकक

iii) **राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु जाँच बिंदु**: गत बैठक में निदेशक महोदय ने भर्ती के लिए प्रयोग किए जा रहे ऑनलाइन एप्लिकेशन को द्विभाषी में तैयार करने हेतु निदेश दिए थे। इस संबंध में अध्यक्ष, सीआईटीएससी, सहायक कुलसचिव (स्थापना) को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।
गत बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर प्रत्येक बुधवार को हिंदी दिन के अनुपालन हेतु कार्यालय आदेश जारी किए गए थे।
इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक परिपत्र जारी कर सभी विद्यापीठाध्यक्षों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी नामपट्ट, विजिटिंग कार्ड, पत्र शीर्ष, संगोष्ठी/कार्यक्रम हेतु बैनर इत्यादि को द्विभाषी रूप में तैयार करने हेतु सूचित किया जाए।

कार्रवाई – कुलसचिव/ सहा.कुलसचिव (स्था.)/ राजभाषा एकक

मद सं. 12.1. **हिंदी में पत्राचार की स्थिति** – : डॉ. राज कुमार सिंह, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा ने समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि संस्थान के हिंदी पत्राचार का प्रतिशत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बहुत कम है जिसके कारण मंत्रालय से नित दिन पत्र प्राप्त होते रहते हैं। समिति के सदस्यों ने संस्थाव से बाहर जाने वाले पत्रों में अग्रेषण पत्रों के प्रयोग के साथ शैक्षणिक अनुभागों द्वारा छात्रों को भेजे जाने वाले मानक प्रारूप के पत्रों को द्विभाषी करने की सलाह दी।

मद सं. 12.2 **विभिन्न अनुभागों की निरीक्षण रिपोर्ट**:- समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि राजभाषा एकक द्वारा दिनांक 04.02.2016 से 10.02.2016 के दौरान संस्थान के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न कार्यालयों में कार्यों में हिंदी की प्रगति हुई है। निरीक्षण प्रश्नवाली की समेकित विवरण सभी समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधी अनुभागों में धारा 3(3) का उल्लंघन, हिंदी टिप्पण, हिंदी पत्राचार आदि संबंधी जानकारी प्रदान की गई और उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग, नोटिंग इत्यादि संबंधी डेस्क प्रशिक्षण दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। **कार्रवाई – कुलसचिव/ राजभाषा एकक**

मद सं. 12.3 **नराकास भुवनेश्वर के निर्णयों पर चर्चा** :- समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि संस्थान निदेशक प्रो.आर.वी. राज कुमार को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2016 को आयोजित की गई थी। सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को बैठक के कार्यवृत्त के बिंदुवार जानकारी प्रदान की। समिति के सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हमें अपने संस्थान में राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जिससे हम अन्य सदस्य कार्यालयों को राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी परामर्श दे सके।

मद सं. 12.4 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई मद** :- इस मद के अधीन सदस्यों के कोई विचार प्राप्त नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय ने आग्रह किया कि बैठक का कार्यवृत्त द्विभाषी में रूप प्रकाशित किया जाए और संस्थान के सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को प्रेषित किया जाए जिससे वे अपने-अपने राजभाषा संबंधी दायित्वों का अनुपालन ठीक ढंग से कर सके और संस्थान अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही उन्होंने आज का विचार नामक एक खंड वेबसाइट में तैयार करने हेतु अपनी इच्छा जाहिर की।

डॉ. राज कुमार सिहं, प्राध्यापक प्रभारी, राजभाषा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

गुणशेखरण

कुलसचिव

Rajbhasha Ekak

Indian Institute of Technology Bhubaneswar

Sub : Minutes of 12th meeting of Official Language Implementation Committee

The 12th Official Language Implementation Committee meeting was held on 10th March, 2016 at 04.30 PM in the Board Room, Toshali Bhawan campus. The meeting was presided over by Prof. R.K. Panda, Director-In charge. In the meeting following members were present:-

1. Dr. R.K. Singh, PIC, Rajbhasha Ekak
2. Dr. D. Gunasekaran, Registrar
3. Dr. Rajan Jha, Asst. Professor, SBS
4. Dr. P.K.Sahu, Asst. Professor, SES
5. Dr. Animesh Mandal, Asst. Professor, SMMM&E
6. Dr. Bibhuti Bhusan Sahu, Dy. Librarian
7. Shri Manas Kumar Behera, Asst. Registrar (Acad. & R & D)
8. Shri Nitin Jain, Jr. Hindi Translator & Member Secretary (OLIC)

Chairman welcomed all the members in the meeting. With the permission of the chair member secretary initiated the proceedings as per the agenda. Before starting the proceedings the Chairman requested to brief OLIC mandate and past decision of the OLIC. Member secretary had briefed the same along with steps taken by the Institute to implement Official Language policy of Government of India. Thereafter, discussion started as per agenda items.

Item No. 12.0 **Confirmation of Minutes of last meeting:-** The member secretary moved the motion for confirmation of the minutes of the last meeting held on 24.11.2015. It was discussed and accepted unanimously.

Item No. 12.1 **Follow up action on decision taken at last meeting: -** The member secretary apprised the Chairman & Committee members about the action on decision taken at last meeting. The main points were:-

1) Documents come under section 3(3) must issue in Bilingual: - The member secretary apprised the Chairman and Committee members about the provision for compliance of Section 3(3). He has also mentioned that, in the last meeting Director has given instruction for issuing of all documents which comes under Section 3(3) in bilingual from Academic & Establishment Section. In this regard, Rajbhasha Ekak has written a letter to respective heads of that section for preparation of documents in Bilingual.

Chairman said that, we do not consider only obligation for implementing official language in the institute, we also think regarding practical aspects of its implementation. He said that in all the section a standard kind of format is used on daily basis and we start with preparing such documents in bilingual. He has also said that the recruitment documents like joining order, reliving order may also be prepared in Bilingual from R & D Section.

Action – Rajbhasha Ekak/ All Asst. Registrars' / Deputy Registrar/ Registrar

ii) Workshop to improve Hindi Correspondence – Rajbhasha Ekak has organized a two days' workshop for all officers/employees/ personal secretaries of the Institute. During the workshop training has been imparted on Official language policy, compliance on Hindi on Daily office work and use of Hindi Covering letter for every outgoing letters from the Institute.

Action – Registrar/ All Asst. Registrars'/ Rajbhasha Ekak

iii) Check points for progressive use of Official Language – In the last meeting Director has suggested that online application used for recruitment purpose may also be prepared in bilingual. In this regard, Rajbhasha Ekak had written a letter to Chairman, CITSC & Asst. Registrar for preparation of online application in bilingual.

As per the decision on last meeting an officer order had been issued to observe every Wednesday as Hindi day.

Chairman suggested to issue a circular to all HOS's, Faculty members, Officers and staff members requesting to prepares Nameplates, Visiting Cards, Letter Heads, Banner for Seminars/ Workshops etc. in bilingual only.

Action – Registrar/Asst. Registrar (Estt.)/Rajbhasha Ekak

Item No. 12.1 Status of Hindi Correspondence in Hindi: - Dr. Raj Kumar Singh, PIC, Rajbhasha had apprised the committee that we are lagging to achieve the target for Hindi correspondence as prescribed in the annual program of Official Language Department, MHA, GOI, for which we are receiving regular letter from Ministry to improve the Hindi correspondence. Members of the committee suggested to use Hindi covering letter for letters which is going outside the institute and preparation of standard type of letter in bilingual format which issued regularly by Academic Section for students.

Item No. 12.2 Inspection Report of different sections: - The committee members were apprised that Rajbhasha Ekak had done Official Language Implementation inspection during 04.02.2016 to 10.02.2016 in different sections/offices of the Institute. During the inspection it was found that few section has improved their work in Hindi. Inspection summary was circulated to all the committee members. During the inspections the concerned employees were informed regarding violation of Section 3(3), Hindi Noting, and Hindi Correspondence etc. and also imparted training on Hindi typing on their desktop, preparation of noting etc. Chairman advised to take necessary step to achieve the prescribed target in step wise manner.

Item No. 12.3 Discussion on decision of TOLIC Bhubaneswar: - The committee members were apprised that Department of Official language, Ministry of Home Affairs, GOI has appointed Prof. R.V.Raja Kumar, Director as Chairman, TOLIC. The first meeting under the chairmanship of our Director was held on 29.01.2016. Member Secretary briefed the minutes of the TOLIC meeting to committee members. The committee member unanimously agreed that we must ensure to implement Official Language policy in our institute as we have to advise other offices to implement the official language policy.

Item No. 12.4 Any other issue with permission of Chairman: - No issue were come up from the members of the committee. Chairman advised that minutes of this meeting may also be prepared in English along with routine practice of preparing the minutes of OLIC meeting in Hindi. The same may be circulated among all the faculty & staff members of the Institute, to make them aware of decision taken on OLIC meeting. He also stressed that all the employees must try their best to achieve the prescribed target. He also wished to publish "Aaj ka vichar" on our Institute website.

With vote of thanks from Dr. Raj Kumar Singh, PIC, Rajbhasha the meeting concluded.

(Registrar)